



समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(निर्वाचन शाखा)

Ph No. :- 06189-223241 (O)
Fax No. :- 06189 - 223301
E-mail : dm-bhabua.bih@nic.in

(अल्पकालिन निविदा सूचना)

जिला निर्वाचन कार्यालय, कैमूर(भभुआ) अन्तर्गत गोदाम में रखे गये पुराने रद्दी कागजात/मतपत्र पुराने मतदाता सूची आदि कागजातों को स्रेडिंग मशीन द्वारा खण्ड-खण्ड कर लुगदी तैयार कर विक्री हेतु दर निर्धारण करने के लिए दिनांक 27.11.2019 अपराह्न 03:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की गयी थी। तकनीकी निविदा वांछित शर्तों के अनुरूप नहीं रहने के कारण पुनः अल्पकालीन निविदा दिनांक 06.01.2020 को अपराह्न 03:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के शर्त :-

1. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा में बिना कारण बताये संशोधन करने स्थगित करने या रद्द करने एवं निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदादाता को कार्य आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. निविदा प्रपत्र 500.00 रुपये निर्धारित है। जिला निर्वाचन शाखा कैमूर से क्रय करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा हेतु अग्रधन के रूप में 40000.00 रुपये नाजीर रसीद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) के पदनाम से देय हो प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा। पूर्व में जमा किए अग्रधन की राशि अनुमान्य होगी।
5. फर्म को काली सूची में नहीं होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
6. फर्म को अन्य जिला/विभाग में निर्वाचन से संबंधित कागजातों को लुगदीकरण कर क्रय करने संबंधी कार्य अनुभव एवं कार्यदेश संलग्न करना होगा।
7. बगैर कारण बताए निविदा रद्द करने/संशोधित करने एवं एक से अधिक वेन्डरों को कार्य आवंटित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
8. निविदादाता को निविदा की सामान्य शर्त, तकनीकी एवं वित्तीय शर्तों के संबंध में बिन्दुवार स्वहस्ताक्षरित घोषणा/शपथ पत्र तथा वांछित कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
9. फर्म बिहार वाणिज्यकर/जी0एस0टी0 एव बिहार Shops Establishment Act के अन्तर्गत बिहार में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
10. फर्म की आर्थिक स्थिति हेतु पिछले (2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) तीन वर्ष का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
11. पेपर मिल में लुगदीकरण (गलाई) करने का प्रमाण-पत्र देना होगा, उसके उपरान्त ही जमानत राशि वापस की जाएगी।
12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म को ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जाएगा।
13. वित्तीय निविदा में दर सभी कर सहित होगा, जिसे विहित प्रपत्र में देना होगा।
14. निर्वाचन से संबंधित कागजों को हरहाल में लुगदीकरण करना होगा, यदि निर्वाचन संबंधित कागज बाजार में उपलब्ध पाया गया तो फर्म के उपर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

12/19
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।